हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के शिमला निर्माण मण्डल–II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र0सं0	अधिशासी अभियन्ता/आहरण/संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्रीमती अंजौरी कूपर	01.04.2012 से 19.01.2013
2	श्री सुरिन्दर वशिष्ठ	01.09.2013 से 31.3.2013

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	4 (ख) (1)	₹14.08
2	रख–रखाव प्रभार व जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली योग्य राशि शेष	5	₹27.67

3	बेलदारों को वेतन के रूप में अधिक भुगतान	8	₹6.18
4	निक्षेप निर्माण कार्य (deposit works) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से अधिक व्यय की वसूली न करना।	10	₹52.93
5	अनुबन्धित प्रमात्रा में अत्यधिक कार्य निष्पादन करने के फलस्वरूप अनियमित भुगतान	12 (क)	₹21.95
6	कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार रॉयलिटी की वसूली न करना।	12 (ख) 15 (ख) 19 (ग) (20) (ख)	₹2.52 ₹3.79 ₹4.91 ₹0.89
7	एल्युमिनियम का गलत कन्वर्सन फैक्टर लगाने के फलस्वस्रूप संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	17	₹0.68
8	संविदाकार को 10 सीसी बिल में अधिक भुगतान	18 (क, ख)	₹0.79
9	दोहरी गणना किए जाने के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान	19 (क)	₹1.07
10	अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर परोक्ष रूप में हानि	19 (घ)	₹93.90

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाई गई है। वर्ष 04/88 से 03/13 तक मण्डल से सम्बन्धित 128 पैरे शेष हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	**वर्ष**	**शेष पैरों की संख्या**	**टिप्पणी**
1	4/96 से 3/97	1	(हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II से सम्बन्धित पैरे)
2	04/2003 से 03/2004	4	
3	4/2004 से 03/2005	3	
4	04/2005 से 03/2006	18	

5	04 / 2006 से 03 / 2007	14	
6	04 / 2007 से 03 / 2008	12	
7	4 / 2008 से 3 / 2009	13	
8	4 / 2009 से 3 / 2010	8	
9	04 / 2010 से 03 / 2011	6	
10	04 / 2011 से 03 / 2012	10	
11	4 / 88 से 03 / 89	2	(नगर विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित पैरें)
12	04 / 89 से 03 / 90	1	
13	04 / 90 से 03 / 91	2	
14	04 / 91 से 03 / 92	1	
15	04 / 92 से 03 / 93	1	
16	04 / 93 से 03 / 94	2	
17	04 / 94 से 03 / 95	4	
18	04 / 95 से 03 / 95	11	
19	04 / 96 से 03 / 97	3	
20	04 / 97 से 03 / 98	6	
21	04 / 98 से 03 / 99	6	
22	04 / 99 से 15.1.01	6	
	कुल अनिर्णीत पैरे	**128**	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, के लेखाओं अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री अनिल मेहरा व श्री मंजीत, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 02.12.2013 से 20.01.2014 तक श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला–09 के

पर्यवेक्षण में शिमला में किया गया। मास 03/2013 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की गलत, अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–2, को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 स्टॉफ एवं विविध अन्य अग्रिमः–

(क) स्टॉफ अग्रिम ₹20865/– का समायोजन न करनाः–

स्टॉफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2013 को ₹20865/– समायोजन हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। कर्मचारियों द्वारा स्टॉफ अग्रिम राशि का लम्बे समय से समायोजन नहीं करवाया गया हैः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	दिनांक 31.03.2013 तक शेष राशि	टिप्पणी
1	श्री सुरिन्दर सिंह, चालक	14975	माह 04/2010 से भी पूर्व से

			समायोजन हेतु लम्बित
2	श्री सुनील कुमार, चालक	5000	–यथोपरि–
3	श्री राजेश ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता	196	–यथोपरि–
4	श्री रजिन्दर पाल सिंह, चालक	694	माह 05/2010 से समायोजन हेतु लम्बित
	कुल योग	**20865**	

अतः उक्त अग्रिम के समायोजन हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

(ख) (1) विविध अग्रिम ₹1408237/– का समायोजन न करनाः–

दिनांक 31.03.2013 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों व कर्मचारियों से ₹1408237/– की राशि विविध अग्रिम के रूप में वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई है। अतः इस सम्बन्ध मे ंअग्रिम के समायोजन/वसूली हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

(2) विविध अग्रिम ₹7821/– अनेक वर्षों से समायोजन के लिए लम्बितः–

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹7821/– श्री सुरिन्दर सिंह, चालक से पिछले कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित है। इस अग्रिम के समायोजन के सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा सूचना माँगी गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना निर्माण मण्डल–II द्वारा प्रदान नहीं की गई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी लेकिन आज तक इस राशि के समायोजन के लिए कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इस राशि का समायोजित न होना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः राशि के समायोजन हेतु निम्नानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

5 (क) ₹2766683/– रख रखाव प्रभार व जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली न करनाः–

हिमुडा निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2013 तक रख रखाव प्रभार व जल प्रभार के रूप में ₹2766683/– वसूली योग्य शेष थे जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है इस राशि की वसूली हेतु शीध्र उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जायें।

क्र0सं0	आवासीय बस्ती का नाम	रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2013 तक शेष राशि	जल प्रभार की दिनांक 31.03.2013 तक शेष राशि
1	HSC Shighi	657127	357963
2	HSC BCS Phase-II New Shimla	592465	451357
3	HSC Basal	536889	10860
4	HSC Kandaghat	160022	––
	कुल योग	**1946503**	**820180**

(ख) ₹2168833/– का जल प्रभार एवं रख रखाव प्रभार वसूली हेतु शेष राशि को लेखों में परिलक्षित न करनाः–

हिमुडा मण्डल–II की खाता बहियों/तलपट का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को विभिन्न कलोनियों से जल प्रभार एवं रख–रखाव प्रभार के रूप में प्राप्त योग्य शेष राशि तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचियों में दर्शाई गई शेष राशि में अत्यधिक अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अभिलेख की विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि वास्तव में प्राप्त योग्य शेष राशि के स्थान पर आधारहीन/काल्पनिक शेष राशि का मण्डल की खाता बहियों/तलपट में लेखांकन किया गया था जिससे मण्डल स्तर पर तैयार लेखों को सही नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप मण्डल की खाता बहियों एवं तलपट में दर्शाई गई प्राप्त योग्य राशि का अंकेक्षण मे सत्यापन नहीं किया जा सका।

Sr. No.	Name of Colony	Nature of receipt	Receivable Balance as per Ledger & Trial Balance as on 31-3-2013	Actual balance as per list supplied to audit	Diff.	Annexure
1	HSC Shighi	Maintenance Charges	222056	657127	435071	
2	HSC BCS Phase-II New Shimla	-do-	108931	592465	483534	
3	HSC Basal	-do-	195332	536889	341557	
4	HSC Kandaghat	-do-	Nil	160022	160022	
5	HSC Shoghi	Water Charges	71531	357963	286432	
6	HSC Saproon	-do-	Nil	1852	1852	
7	HSC Basal	-do-	Nil	9008	9008	
8	HSC BCS Phase-II New Shimla	-do-	Nil	451357	451357	
		Total	**597850**	**2766683**	**2168833**	

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि मण्डल स्तर पर लेखों का रख–रखाव सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है। ₹2168833/– की उक्त शेष राशि को लेखों में न दर्शाकर हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है तथा वित्तीय लेखांकन की पद्धति के विरूद्ध भी है। अतः पूर्ण प्रकरण हिमुडा उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकार की त्रुटियों का समायोजन लेखों में अतिशीध्र करवाया जाये। भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि मण्डल स्तर पर लेखों का रख रखाव ठोस आधार पर सही प्रकार से किया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

6 ₹49144/– जलपूर्ति पर व्यय की गई राशि को आंबटियों से वसूल न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 में आवासीय कॉलौनी कंडाघाट में आंबटियों को जल आपूर्ति हेतु सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग से जलापूर्ति ली गई जिस हेतु क्रमशः ₹24206 व ₹24938 कुल ₹49144/– का भुगतान किया गया इस व्यय को "A/R & M/O to WSS housing colony Kandaghat" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है परन्तु उक्त कालौनी में विभिन्न आंबटियों से जल प्रभार के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी ऐसा प्रतीत होता है कि आंबटियों को जल प्रभार के बिल जारी नहीं किये जा रहे है जिससे हिमुडा को मूल व ब्याज राशि की सीधी हानि हो रही है जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः जल प्रभार की राशि की आंबटियों से वसूली न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इसकी गत वर्षों सहित वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये। साथ ही यह गम्भीर मामला हिमुडा, उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ चूककर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

7 रोकड़ प्राप्तियों को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल–II के उप–मण्डलों कुसुम्पटी व सोलन द्वारा रसीदों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की आय को बहुत विलम्ब के बाद मण्डल–II में जमा करवाया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण परिशिष्ट "ग" पर दिये गये है। अतः रसीदों से प्राप्त राशि को विलम्ब से मण्डल–II में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रसीदों से प्राप्त राशियों को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशियों को अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

8 ₹618189/– का बेलदारों को अधिक भुगतानः–

माह 03/2013 के वेतन बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेश कुमार बेलदार व कु0 शांन्ति देवी बेलदार को क्लर्क/लिपिक के पद का वेतनमान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 17.6.2011 अनुसार केस संख्या COPC No. 321 of 2010 जो राजेश कुमार एंड अदर्स बनाम श्री एस0सी0सूद सीइओ कम सेक्रेटरी, HIMUDA की अनुपालना में दिया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त दो अन्य कर्मचारियों श्री नरेश कुमार गुप्ता, बेलदार व श्रीमती सिम्मी वर्मा, बेलदार को भी क्लर्क/लिपिक के पद का वेतनमान दिया जा रहा था जिस सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारिणी के आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20/HIMUDA-2013-14 दिनांक 02.01.2014 मे ंआदेशों की प्रतिलिपि अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था परन्तु मण्डल स्त्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त चारों कर्मचारियों को उच्चत्तर पद वस्तुतः लिपिक के पद पर कार्य करने के आदेश से सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा चर्चा में बताया गया कि इस प्रकार के आदेशों का कोई भी अभिलेख मण्डल में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मामलों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन (सी) बी (150–2/2009 दिनांक 30.9.2010 जो प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि "In Some Deptt./Govt. bodies, certain daily waged workers have been/are being assigned with the duties of higher posts. In some cases, the court has taken cognizance of such practices and has ordered higher pay scales and also directed the deptt. To conseder such persons as eligible for appointment to higher posts even though these persons have not been appointed as per the due procedure. The Govt. has taken a serious view of such practices and it has been decided that in cases of any advance court order which result in higher financial liability on the state exchequer, in such cases, the same may be recovered from the erring officer."

हिमुडा अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कर्मचारी बेलदारों से उच्चत्तर पद अर्थात लिपिक के पद की सेवा बिना किसी सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति से ली गई प्रतीत होती है। अतः सरकार के उपरोक्त पत्र अनुसार ऐसे अधिकारी स्वयं जिम्मेवार है। उपरोक्त कर्मचारियों को

उच्चत्तर पद का कार्य देने के एवज में दिनांक 31.03.2013 तक ₹618189/– का अधिक भुगतान किया जा चुका है जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" में विस्तार से दिया गया है जिसकी वसूली दोषी अधिकारियों जिन द्वारा उच्चत्तर पद का काम लिया/सौंपा गया से की जानी अपेक्षित है। अतः मामला सचिव (आवास) एवं उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

9 स्टेशनरी (लेखन सामग्री) स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखन सामग्री स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार एवं लेखा नियमों की प्रक्रिया अनुसार नहीं किया गया था। लेखन सामग्री की क्रय की गई मदों को एक अलग साधारण रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा था व प्राप्त की गई लेखन सामग्री का आगामी उपयोग नहीं दर्शाया गया था जो अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ये सुझाव दिया जाता है कि लेखन सामग्री की मदों का नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाये तथा प्राप्त व जारी मदों की प्रविष्टियों का तिथिवार विवरण दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 निक्षेप निर्माण कार्य (deposit works) के अन्तर्गत दिनांक 31.03.13 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई ₹5292548/– की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निक्षेप निर्माण कार्य (deposit works) हेतु प्राप्त राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय की गई थी जबकि सीपीडबल्यूडी कोड के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दात्यिव सृजन से पूर्व प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। प्राप्ति से अधिक व्यय की ₹5292548/– की वसूली न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय की गई राशियों की वसूली हेतु शीध्र आवश्यक कदम उठाएं जाएँ व अनुपालना से इस विभगा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	विभाग/संस्था का नाम जिसका निक्षेप निर्माण कार्य (**deposit works**) किया गया	निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि	राशि जो सम्बन्धित संस्था/विभाग से प्राप्त की गई	अधिक व्यय (₹)
1	नगर निगम, शिमला	13394989	12178380	1216609
2	युवा एवम खेल विभाग	9040569	7073778	1966791
3	उप–कोषगार, सोलन	34520448	33729220	791228
4	एस0सी0एस0टी0 हॉस्टल कार्य	43700550	42382930	1317920
	कुल योग			**₹5292548**

11 संविदाकारों द्वारा वापिस की गई स्टोर सामग्री का त्रुटिपूर्ण क्रेडिट देकर ₹4687/– की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न संविदाकारों को समय–2 पर अनुबन्ध अनुसार स्टोर से निर्माण सामग्री जारी की गई थी। जारी की गई सामग्री के लिए संविदाकार का खाता नियमानुसार डेबिट किया गया था तथा इस जारी की गई सामग्री में से कुछ सामग्री संविदाकारों द्वारा वापिस स्टोर में जीआर द्वारा जमा करवाई गई थी जिसके लिए उन्हें नियमानुसार व अनुबन्ध की धारा 42 (1) के अन्तर्गत खाते में क्रेडिट दिया जाना अपेक्षित था परन्तु अनुबन्ध की धारा 42 (1) की अवहेलना करते हुये संविदाकारों के खाते में जारी रेट+3**%** स्टोरेज प्रभार सहित क्रेडिट दिया गया था जबकि अनुबन्ध की धारा 42 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि "Material remaining unused and in perfect good condition at the time of completion. Credit for such material will be given at providing market rate not exceeding the amount charged from him excluding storage charges levied at the time of issue of material" इस प्रकार जारी रेट पर 3**%** का अधिक क्रेडिट देकर संविदाकार को अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया थाः–

संविदाकार का नाम	Contractor ledger page/ संख्या	जीआर संख्या जिससे सामग्री वापिस की गई	सामग्री का विवरण	दर +3% स्टोरेज प्रभार (क्रेडिट जो वास्तव में दिया गया)	क्रेडिट जो दिया जाना अपेक्षित था	अधिक क्रेडिट जो दिया गया
श्री अरूण ठाकुर	124/1	1006 दिनांक 11.5.12	स्टील 2.703 मीट्रिक टन	@41295/- +3%=i.e. 114969	@41295/- i.e. 111620	3349
	132/1	037 दिनांक 27.11.12	स्टील 0.999 मीट्रिक टन	@44633/- +3%=i.e. 45926	@44633/- i.e. 44588	1338
					कुल योग	**₹4687**

उपरोक्त विवरण अनुसार संविदाकारों को ₹4687/– का अनुचित/लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस प्रकार के अन्य मामलों में मण्डल स्तर पर उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

12 कार्य का नामः– कन्स्ट्रक्शन आफॅ डाटा सेन्टर बिल्डिंग (आई0टी0) मैहली।

संविदाकार का नामः– मै0 ए0 जी0 कन्स्ट्रक्शन।

चलत बिल संख्याः–20

अनुबन्ध संख्याः–10 आफॅ 2009–10

वाउचर संख्या 170, दिनांक 30.3.2013, ₹1125277/–

(क) अनुबन्धित मद संख्याः 23 का अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्यधिक कार्य निष्पादन करने के फलस्वरूप ₹2195227/– का अनियमित भुगतानः–

मापन पुस्तिका 865 के पृष्ठ संख्याः 64 व 65 पर अनुबन्धित मद संख्या 23 वस्तुतः आर0आर0 मैसनरी विद हार्ड स्टोन इन फौंउडेशन एन्ड पलिन्थ की कार्य प्रमात्रा 1316.85 घन मीटर हेतु ₹2238645/– का भुगतान किया गया था जबकि अनुबन्ध के अनुसार उक्त मद हेतु केवल 25.54 घन मीटर कार्य मात्रा निष्पादित की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार उक्त मद की 1291.31 घन मीटर मात्रा अधिक निष्पादित की गई जोकि अनुबन्धित कार्य मात्रा से 5056 प्रतिशत अधिक थी। परिणामस्वरूप इस मद पर ₹2195227/– (1291.31X1700) का अधिक व्यय किया गया जोकि अनुबन्ध का सीधा उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त उक्त मद की अधिक प्रमात्रा के निष्पादन हेतु कोई भी अनुमति/स्वीकृति सक्षम प्राधिकारिणी से प्राप्त नहीं की गई थी हालांकि चर्चा के दौरान बताया गया कि कार्य स्थल पर उक्त मात्रा का निष्पादन किया गया अति आवश्यक था। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹252476/– की रॉयलिटी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनांक 16. 1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेट, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। बीसवें चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 865 पृष्ठ–64 व 65 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 22, 23 व 24 के लिए कमशः 235, 15 घन मीटर, 1316.85 घन मीटर व 540.58 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्नविवरणानुसार 2720.75 घन मी0 पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फॉर्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप

₹252476/– की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई प्रतीत होती है।

क्र0सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलिटी प्रति टन	राशि
1	22	RR Masonry cm 1:6 in retaining wall/breast wall i/c all leads & lifts	235.15 cum	322.15 cum (35.15x1.37)	747.40 (322.15x2.32)	40	29896
2	23	RR Masonry cm 1:6 in foundation and plinth i/c all leads & lifts	1316.85 cum	1804 cum (1316.85x1.37)	4185 (1804x2.32)	40	167400
3	24	Stone filling behind retaining wall	540.58	594.60 cum (540.58x1.10)	1379.50 (594.60x2.32)	40	55180
		Total	**2092.58**	**2720.74**	**6311.90**		**252476**

अतः उक्त वर्णित रॉयलिटी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यहाँ यह भी कहना उचित एवं तर्कसंगत होगा कि या तो संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल से निकाले पत्थरों का प्रयोग किया गया या फिर स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग किया होगा। वस्तुतः यदि निर्माण स्थल से निकले पत्थरों का प्रयोग किया होगा तो नियमानुसार निम्न सब पैरा (ग) अनुसार वसूली की जानी अपेक्षित थी यदि बाहर के स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग किया होगा तो उपरोक्त विवरण अनुसार रॉयल्टी मण्डल स्तर पर नियमानुसार काटी जानी अपेक्षित थी।

(ग) कटिंग इन अर्थ वर्क में निकाले गये पत्थरों की संविदाकार से ₹340235/– की वसूली न करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 865 के पृष्ठ संख्या 55 में अनुबन्धित मद संख्या 1 वस्तुतः कटिंग इन अर्थ वर्क के लिये 9761.02 घन मीटर के कार्य निष्पादन हेतु ₹849208.74 का भुगतान किया गया था परन्तु इतनी अधिक खुदाई किये जाने के उपरान्त कार्य स्थल से किसी भी प्रकार की पत्थरों की मात्रा अभिलेख में नहीं दिखाई गई है। निकले गये पत्थरों को न तो संविदाकारों को जारी किया गया है और न ही सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था। जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार उक्त खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा के रूप में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार "हिमाचल प्रदेश शडयूल दर, 2009" के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350 प्रति घन मीटर हैं। परिणामस्वरूप 972.10 घन मीटर पत्थर को स्टॉक में न लेकर/संविदाकार को जारी न कर न्यूनतम ₹340235/– (972.10x350) की हिमुडा को हानि पहुंचाई गई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व हानि की भरपाई हेतु यथोचित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(घ) अनुबन्ध की मद संख्या 71 में ₹1770.55 का अनुचित एवं अनियमित भुगतानः–

उपरोक्त मद का मापन पुस्तिका संख्या 865 के पृष्ठ 78 अनुसार ₹1770.55 का भुगतान Providing chases 75mmx50mm for conduit GI pipes and filling the same with CC 1:3:6 after the conduit/GI pipe is laid के लिये किया गया था जबकि CPWD Specifications, 2009 के खण्ड–1 के चैप्टर 6 में ब्रिक वर्क के नियम 6.2.8.3 के नीचे दिए गये नोट (बी) एवं (एफ) के अनुसार क्रमशः 0.10 घन मीटर के क्षेत्रफल की ओपनिंग व chases of section not exceesding 50cm in girth के लिये अलग से भुगतान करने का कोई प्रावधन नहीं है। अतः उपरोक्त नियम की अनदेखी करके ₹1770.55 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसको न्यायोचित ठहराया जाये या इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ङ) विभिन्न कार्य मदों का अनुबन्ध से अत्यधिक निष्पादन करने पर ₹5488534/– का अनियमित भुगतानः–

निम्न वर्णित विभिन्न अनुबन्धित कार्य मदों की मात्रा के विपरीत अधिक कार्य मात्रा के निष्पादन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹5488534/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त मद की अधिक प्रमात्रा के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। पाई गई अनियमितता को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जायेः–

Sr. No.	Agreement Item No.	Description of item	Qty. as per agreement	Qty executed up to 20th R/bill	Rate	Excess execution	Excess percent age of execution
1	6 (e)	From work edges of slabs	74.96 Rmt.	992.39 Rmt.	35 P/Rmt	917.43 Rmt i.e. 32110	1224%
2	13 (a)	P/L CC strength of M-20 in Foundation & Footing	564.45 cum	1360.50 cum	3140 P/cum	796.05 cum i.e. 2499597	141%
3	13 (d)	P/L CC Strength of M-20 in walls any thickness	415.90 cum	1289.43 cum	3230 P/cum	873.53 cum ie. 2821501	210%
4	33	P/L Spartic ceramic tile	135,19 sqm	325.79 sqm	710 P/Sqm	190.60 i.e. 135326	141%
				कुल योग		**5488521**	

13 कार्य का नामः– C/O Gevernment Senior Secondary School Building at Ghanagughat, The. Arki, Distt. Solan

संविदाकार का नामः– Sh. Chetan Sharma

चलित बिल संख्याः– 2nd Running Bill

अनुबन्ध संख्याः– 5 आर्फ 2012–13

वाउचर संख्या 174, दिनांक 30.3.2013, ₹1188042/–

(क) कटिंग इन अर्थ वर्क में निकाले गये पत्थरों की संविदाकार से ₹41044/– की वसूली न करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 858 के पृष्ठ संख्या 9 में अनुबन्धित मद संख्या 1 वस्तुतः कटिंग इन अर्थ वर्क के लिये 982.78 घन मीटर कार्य निष्पादन हेतु ₹147417/– का भुगतान किया गया था परन्तु खुदाई किये जाने के उपरान्त कार्य स्थल से किसी भी प्रकार की पत्थरों की मात्रा अभिलेख में नहीं दिखाई गई है। निकले गये पत्थरों को न तो संविदाकार को जारी किया गया था और न ही सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार उक्त खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा के रूप में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार "हिमाचल प्रदेश शडयूल दर, 2009" के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350+₹67.62 (Overall premium 19.32%) =₹417.62 प्रति घन मीटर है। परिणामस्वरूप 98.28 घन मीटर पत्थर को स्टॉक में न लेकर, व न ही संविदाकार को जारी करके न्यूनतम ₹41044/– (98.28x417.62) की हिमुडा को हानि पहुंचाई गई है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा हानि की भरपाई हेतु यथोचित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(ख) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹2838/– की रॉयलिटी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ0)6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेट, बजरी, सूचना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। दूसरे चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 858 पृष्ठ 18 पर अनुबन्धित मद संख्या 15 स्टोन फिलिंग कार्य की 27.80 घन मीटर मात्रा का निष्पादन किया गया है। जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 30.58 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर

नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹2838/– की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई है।

क्र0सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलिटी प्रति टन	राशि
1	15	Stone filling behind retaining wall	27.80 cum	30.58 cum (2.80x1.10)	70.94 (27.80x1.10)	40	2838
		Total					**2838**

अतः उक्त वर्णित रॉलिटी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) ₹907/– का टोर स्टील के कार्य निष्पादन पर अधिक भुगतानः–

मापन पुस्तिका संख्या 857 पृष्ठ 7 व 14 पर अनुंबन्धित मद संख्या 10 टोर स्टील कार्य की अधिक मात्रा दर्शाकर संविदाकार को ₹907/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अधिक भुगतान की संविदाकार से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

Sr. No.	Agr. Item No.	MB/Page	Dia of steel	Qty. to be taken	Qty. actually taken	Qty. Excess taken	Rate per Kg	Amt. Excess paid
1	10 P/L TMT/Tor steel	857/7	8mm	8.70 Kg (22.30 Rmtx0.39)	13.83 Kg (22.30 Rmtx0.62)	5.13Kg	56.40	289

2	-do-	857/14	16 mm	19.43 Kg (12.30 Rmtx2.47)	30.38 Kg (12.30Rmtx1.58)	10,95 Kg	56.40	618
							Total	907

(घ) ₹1471/– का टोर स्टील की overlpping पर गलत फैक्टर लगाने के कारण अधिक भुगतानः–

डिटेल फुटिंग एंड कॉलम कार्य की Approved Drawing के नोट 10 के अनुसार टोर स्टील का ओवरलैप्स 47 times diameter था परन्तु दूसरे चलित बिल में ओवरलैप्स की स्वीकृति से अधिक गणन करने के कारण ₹1471/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की संविदाकार से वसूली करके मण्डल के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

Steel Dia mm	**No. of Steel lengths**	**Approved overlaps**	**Overlaps taken**	**Diff.**	**Excess qty. taken in Kg (col 2x5)**	**Rate per Kg**	**Excess payment**
8	85	0.47	0.494	0.024	2.04	56.40	115
10	17	0.47	0.50	0.030	0.51	56.40	29
12	150	0.47	0.51	0.040	6.00	56.40	338
16	161	0.47	0.52	0.050	8.05	56.40	454
20	158	0.47	0.53	0.060	9.48	56.40	535
						Total	**1471**

(ङ) सीमेन्ट/स्टील की मात्रा आवश्यकता से अधिक जारी करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 858 पृष्ठ 19 व 20 का अवलोकन करने पर पाया गया कि दूसरे चलित बिल तक संविदाकार को सीमेन्ट/स्टील की मात्रा आवश्यकता से अधिक जारी की गई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकता न होने पर भी उक्त स्टॉक मदों को संविदाकार को जारी कर दिया गया जबकि अनुबन्ध की क्लाज 42 (i) के अनुसार " The Ccomtractor shall see that only the required quantities of materials are issued." परन्तु उक्त क्लाज की अनदेखी करते हुए सीमेन्ट/स्टील की मदों को आवश्यकता से अधिक जारी करना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है जिस बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त क्लॉज की अनुपालना करते हुए आवश्यकतानुसार ही निर्माण मदों को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

Name of stock item	**Issued to 2nd R/Bill**	**Recovery up to 2nd R/Bill**	**Balance**
Cement	1400 bages	825 bages	575 Bages
Steel	29.318 MT	15.72 MT	13.598 MT

14 कार्य का नामः– C/O Residential Complex below BCS Phase-III

संविदाकार का नामः–Sh. Vikas Chauhan

चलित बिल संख्या– 5th Running bill

अनुबन्ध संख्याः– 11 आफ 2011–2012

वाऊचर संख्या 129, दिनांक 23.3.2013, ₹407976/–

(क) कार्य स्थल पर खुदाई से निकाले गये पत्थर को संविदाकार को कम दर पर जारी करने के फलस्वरूप ₹891/– की कम वसूलीः–

पांचवे चलित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य स्थल पर 11.64 घन मीटर Serviceable पत्थर प्राप्त हुये जिन्हें एम0ए0एस0 संख्या सी0डी0–(1)–24 के पृष्ठ 18 पर दर्ज करके संविदाकार को जारी किया गया था परन्तु पत्थरों की मात्रा की वसूली

₹395.00 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹318.50 प्रति घन मीटर की दर से की गई थी। परिणामस्वरूप ₹891/– की कम वसूली की गई जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

Sr. No.	Particulars		Rate
1	Ordinary Quarried stone as per HPSR 2009		₹350 P/cum
2	Rate of Similar item No. 16 as per Contract agreement, i.e. Stone filling behind retaining wall		
	(a) Rate as per HPSR 2009	₹797.35 P/Cum	
	(b) Rate as per Conmtract Agreement	₹900 P/cum	
	(c) Hence premium (900-797.35)/797.35x100	12.87%	
	(d) Hence recovery rate of ordinary quarried stone on the basis of similar item No. 16 above (3500x12.87%%)+350		₹395 P/cum
	Amount of stone recovery less made (11.64x395)-(11.64x318.50)		₹891

15 कार्य का नामः– PSFS at Kasumpti (chhabrogti), Shimla-171009

संविदाकार का नामः– M/S M.L. Gupta

चलित बिल संख्याः– 24th Running Bill

अनुबन्ध संख्याः– 13 आफ 2007–08

वाउचर संख्या 181, दिनांक 30.3.2013, ₹843097/–

(क) कटिंग इन अर्थ वर्क में निकाले गये पत्थरों की संविदाकार से ₹370466/– की वसूली न करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 871 के पृष्ठ संख्या 3 में अनुबन्धित मद संख्या 1 वस्तुतः कटिंग इन अर्थ वर्क के लिये 16037.49 घन मीटर कार्य निष्पादन हेतु ₹3480135/– का भुगतान किया गया था परन्तु खुदाई किये जाने के उपरान्त कार्य स्थल से किसी भी प्रकार की पत्थरों की मात्रा अभिलेख में नहीं दिखाई गई हैं। निकले गये पत्थरों को न तो संविदाकार को जारी किया गया था और न ही सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था। जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार उक्त खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा के रूप में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार "हिमाचल प्रदेश शडयूल दर, 2009" के आधार पर Ordinary Quarried Stone की दर ₹231/– प्रति घन मीटर बनती है नीचे दिये गए विवरण के परिणामस्वरूप 1603.75 घन मीटर पत्थर को स्टॉक में न लेकर न ही संविदाकार को जारी करके न्यूनतम ₹370466/– (1603.75x231) की हिमुडा को हानि पहुंचाई गई है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा हानि की भरपाई हेतु यथोचित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जायेः–

Recovery rate of swerviceable stone extracted during cutting in earth work

Sr. No.	**Particulars**			**Amount**
1	Rate of Ordinary Quarried stone as per HPSR 1999			147.50 P/cum
2	Rate of Similar item:	Rate as per HPSR 1999	Rate quoted by Contractor	
	(a) RR Masonry with hard stone (Agreement item No. 24)	1077.20	1800	
	(b) Stone filling behind retaining wall (Agreement item No. 25)	391.70	500	
	Total	**1468.90**	**2300**	

3	Premium on Similar nature of items	(2300-1468.90)/1468.90=56.58%
4	Hence recovery rate of stone will be	147.50+83.45 (56.58%)=230.95 or say 231 P/cum

(ख) ₹378880/– की रॉयलिटी कार्य स्थल पर लाये गये पत्थ्रों की प्रमात्रा पर नियमानुसार वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II एफ) 6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। 24वें चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 871 पृष्ठ संख्या 13 व 14 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 24 व 25 के लिया क्रमश 1974.09 घन मीटर व 1252.96 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है। जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 4082.76 घन मीटर पत्थरों को उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वपरूप ₹378880/– की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

क्र0सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉलिटी प्रति टन	राशि
1	24	RR Masonry cm 1:6 in foundation and plinth i/c all leads & lifts	1974.09 cum	2704.50 cum (1974.09x1.37)	62174.44 (2704.50x2.32)	40	250978

2	25	Stone filling behind retaining wall	1252.96 cum	1378.26 cum (1252.96x1.10)	3197.56 (1378.26x2.32)	40	127902
		Total		4082.76			378880

अन्यथा उक्त वर्णित रॉयलिटी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 कार्य का नामः– C/O रेजिडेन्शियल कॉम्प्लैक्स बेलो बी0सी0एस0 फेस–III, न्यू शिमला (S.H. C/O अप्रोच रोड टू दी ब्लॉक नं0 10 ए फ्रोम नियर ब्लॉक नं0 8–ए)

एग्रीमैन्ट नं0:– 11 ऑफ 2012–13

संविदाकार का नामः– संदीप देष्टा

वाऊचर संख्या 89 ऑफ 03/2013 द्वारा संविदाकार को ₹235322/– का भुगतान किया गया था बिल के विस्तृत जांच करने पर निम्न त्रुटियाँ पाई गईः–

(क) ₹2430/– का संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतानः–

बिल की विस्तृत जाँच में पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 702 के पृष्ठ संख्या में अनुबन्धित मद संख्या 4 जो वस्तुतः Randam Rubble masonary की रिकार्ड एन्ट्री में मात्रा 12.13 घन मीटर का निष्पादन किया गया था इसमें मात्रा 1x2.40x0.50x0.75=0.90 के लिए ₹2430 अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है निष्पादित किए गए कार्य में उपरोक्त 0.90 घन मीटर मात्रा हेतु न तो खुदाई की गई थी न ही सी0सी0 1:6:12 डाली गई थी इस प्रकार बिना खुदाई किए व सी0सी0 1:6:12 डाले बिना डंगे/दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। अतः इस प्रकार अधिक भुगतान की प्रमात्रा की प्रमात्रा को न्यायोचित ठहराया जाए या अधिक भुगतान की गई राशि ₹2430/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹11716/– की रॉयलिटी कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ0) 6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉलिटी देय है। बीसवें चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 702 पृष्ठ 47 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 4 के लिए 92.16 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 126.25 cum/ घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुयार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेंक्षित थी परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹11716/– की रॉयलिटी के रूप कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई प्रतीत होती है।

क्र0सं0	**अनुबन्धित मद सं0**	**मद का विवरण**	**पत्थर की निष्पादित कार्य कार्य मात्रा**	**उपयोग की गई पत्थर की मात्रा**	**टनों में मात्रा**	**रॉयलिटी प्रति टन (रूपए)**	**राशि**
1	4	RR Masonry Cm 1:6 in retaining wall/breast wall i/c all leads &lifts	92.16 cum	126.25 cum (92.16x1.37)	292.29 (126.25x2.32)	40	11716

17 कार्य का नामः– C/O State Data Centre at Mahali (P/F एल्यूमिनियम जोईनेरी)

संविदाकार का नाम मै0 कपिल कन्स्टरक्शन

अनुबन्ध संख्या 9 ऑफ 2011–12

वाऊचर संख्या 176 दिनांक 30.03.2013 द्वारा मै कपिल कन्स्ट्रक्शन को चौथे चलत बिल तक निष्पादित किए गए कार्य के एवज में कुल ₹4717857.90 का भुगतान किया गया था बिलों की जांच पड़ताल करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिनका विवरण निम्न हैः–

₹68456.70 का एल्यूमिनियम का गलत कन्वर्शन फैक्टर लगाने के फलस्वरूप संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतानः–

मापन पुस्तिका संख्या 866 पर दर्ज की गई रिकॉर्ड प्रविष्टि के अवलोकन में पाया कि जोईनेरी के लिए प्रयोग में लाये गए विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम के लिए रंनिग मीटर को किलोग्राम में बदलने के लिए निम्नलिखित मामलों में सम्भवतः गलत कन्वर्शन फैक्टर लगाया गया प्रतीत होता है।

मापन पुस्तिका 866 का पृ0	चलत बिल सं0	मद / उप–मद का नाम	कुल मात्रा रनिंग मीटर में	कन्वर्शन फैक्टर जो लगाया गया है	कन्वर्शन फैक्टर जो लगाया जाना अपेक्षित था	अधिक मात्रा
पृ0सं0 21	2रा	1 (b) क्लिप्स एसपी–1778 (17.15x17.27)	8666.70	0.128 प्रति मीटर प्रति किलो	0.111 प्रति मीटर प्रति किलो	8666.70x0.17=147.33 किलोग्राम
पृ0सं0 45	4था	1 (b) क्लिप्स एसपी–1778 (17.15x17.27)	1050.76	0.128 प्रति मीटर प्रति किलो	0.111 प्रति मीटर प्रति किलो	1050.76x0.017=17.86 किलोग्राम
पृ0सं0 42	4था	1 (b) चैनल (233x12)	356.63	0.410 प्रति मीटर प्रति किलो	0.381प्रति मीटर प्रति किलो	356.63x0.29=10.34 किलोग्राम
					कुल मात्रा	175.53 किलोग्राम

इस प्रकार से उपरोक्त विवरण अनुसार 175.53 किलोग्राम मद संख्या 1 (b) हेतु अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है उपरोक्त मद की अनुबन्धित दर ₹390 प्रति

किलोग्राम थी इस प्रकार 175.53x390=₹68456.70 संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था अधिक भुगतान की गई मात्रा को न्यायोचित ठहराया जाए या उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18	कार्य का नामः–	C/O आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बिल्डिंग एट सोलन
	संविदाकार का नाम	श्री अशोक कुमार मदान
	अनुबन्ध संख्या	13 ऑफ 2008–09

वाऊचर संख्या 70 दिनांक 13.03.2013 द्वारा श्री अशोक कुमार मदान को अनुबन्ध की क्लॉज 10 सी0सी0 के रूप में ₹1573287/– का भुगतान किया गया था बिल की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को ₹79231/– का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न हैः–

(क) ₹31591 का अवधि (त्रैमासिक अवधि) 03/2009 से 05/2009 के लिए लेबर कॉम्पोनेंट (Labour component) के रूप में अधिक भुगतानः–

बिल/वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि (त्रैमासिक अवधि) 03/2009 से 05/2009 के लिए लेबर कॉम्पोनेंट (Labour Component) के रूप में ₹31591/– लेंबर/न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने के फलस्वरूप 10 सी0सी0 बिल में दर्शाये गये थे लेबर/न्यूनतम मजदूरी पर ₹100/– से ₹110/– की उक्त बढ़ौतरी माह 03/2009 से अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी(7)–15/98–III दिनांक 30.01.2009 द्वारा की गई थी तथा संविदाकार को इसी माह से भुगतान की गई थी जोकि अनुबन्ध की क्लाज 10 सीसी के भाग 6 व भाग 7 (बी) अनुसार अगली तिमाही से भुगतान योग्य बनती थी क्योंकि क्लाज 7(बी) में ये स्पष्ट लिखा गया है कि "If revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable for work done in all quarters subsequent to the quarter in which the revision of minimum wages takes place." इस प्रकार से संविदाकार को अनुबन्ध की धारा/क्लाज का पालन न करने के

फलस्वरूप ₹31591/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमुडा निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹47640/– का अवधि (त्रैमासिक अवधि) 12/2010 से 02/2011 के लिए Material component के लिए गलत average index लिए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–

10 सी0सी0 बिल में अवधि 12/2010 से 02/2011 की तिमाही के लिए average index 149.34 लिया गया था तथा इसी आधार पर संविदाकार को भुगतान किया गया था ऑफिस ऑफ इकनॉमिक Advisor, भारत सरकार के आंकड़ों अनुसार अवधि 12/2010, 01/2011 व 02/2011 का प्राईस इंडेक्स क्रमशः 146, 148 व 148.10 था जिसका average 146+148+148/3=147.36 बनता है। अतः निम्न विवरण अनुसार average प्राईस इंडेक्स गलत लगाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि (त्रैमासिक अवधि)	गणना जो बिल में की गई (एव्रेज इंडेक्स 149.34 अनुसार)	गणना जो बिल में की जानी अपेक्षित थी (एव्रेज इंडेक्स 147.36 अनुसार)	अधिक भुगतान
12/2010 से 02/2011	4125569x0.75x149.34-128.60/128.60=499314	4125569x.075x147.36-128.60/128.60=451374	47640

अधिक भुगतान की गई राशि ₹47640/– को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करके हिमुडा निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19	कार्य का नामः–	C/O PSFS chabrogti, Kasumpti शिमला–09 (Sh:- 15 नम्बर कैटेगरी–I फलैटस ;ब्लॉक 9, 10, 11), 30 नम्बर कैटेगरी–II फलैटस (ब्लॉक 12–ए, 14, 15, 16) व 6 नम्बर कैटेगरी–III फलैटस (ब्लाक 12)
	संविदाकार का नाम	श्री ओम प्रकाश सुरिन्दर मोहन
	अनुबन्ध संख्या	18 ऑफ 2007–08

वाऊचर संख्या 172 दिनांक 30.03.2013 द्वारा श्री ओम प्रकाश सुरिन्दर मोहन को 17वें चलत बिल के लिए निष्पादित किए गए कार्य के एवज में कुल ₹1811333/– का भुगतान किया गया था बिल की जाँच पड़ताल करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिनका विवरण निम्न हैः–

(क) ₹106888.80 का दोहरी गणना किए जाने के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतानः–

बिल की विस्तृत जाँच पड़ताल के दौरान पाया कि मापन पुस्तिका की रिकार्ड एंट्री जो अनुबन्ध की मद संख्या 75 व 76, "वस्तुतः डिस्टेम्पेरिंग टू कोटस विद ऑइल बॉन्ड वाशेब्ल डिस्टेंपर" के लिए क्रमशः मात्रा 1847.76 वर्गमीटर व 3496.68 वर्गमीटर ली गई थी उपरोक्त डिस्टेम्पर का कार्य ब्लॉक संख्या 16 व 12 में करवाए गए कार्य हेतु रिकार्ड एंट्री दर्ज की गई थी प्रत्येक ब्लॉक में 12 फलैटस थे परन्तु गणना प्रत्येक ब्लॉक के 12X2 फलैटस हेतु की गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹106880.80 का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

अनुबन्ध की मद संख्या व मद का पूर्ण विवरण	गणना जो मापन पुस्तिका में की गई थी (मात्रा वर्ग मीटर में)	गणना जो मापन पुस्तिका में की जानी अपेक्षित थी (मात्रा वर्ग मीटर में)	अधिक (मात्रा वर्ग मीटर में)	दर प्रति (मात्रा वर्ग मीटर में)	अधिक भुगतान
अनुबन्ध मद संख्या 75	153.98x12=1847.76 (Note:- 153.98 वर्ग मीटर मात्रा 2 फलैटस के लिए आंकी गई थी	153.98x6=923.88	923.88	40	36955.20
अनुबन्ध मद संख्या 76	291.39x12=3496.68 (Note:- 291.39 वर्ग मीटर मात्रा 2 फलैटस के लिए आंकी गई थी	291.39x6=1748.34	1748.34	40	69933.60
				कुल योग	106888.80

अतः ₹106888.80 की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) ₹622686/– की कटिंग इन अर्थ वर्क में निकाले गये पत्थरों की संविदाकार से वसूली न करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 832 के पृष्ठ संख्या 62 में अनुबन्धित मद संख्या 1 वस्तुतः कटिंग इन अर्थ वर्क के लिये 26385 घन मीटर कार्य निष्पादन हेतु ₹5356385.71 का भुगतान किया गया था परन्तु खुदाई किये जाने के उपरान्त कार्य स्थल से किसी भी प्रकार की पत्थरों की मात्रा अभिलेख में नहीं दिखाई गई है। निकाले गये पत्थरों को न तो संविदाकार को जारी किया गया था और न ही सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था जबकि प्रचलित प्रथा/नियमों में प्रावधानों के अनुसार उक्त खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा के रूप में दर्शाइ जानी अपेक्षित थी इस प्रकार से 2638.50 घन मीटर पत्थरों को या तो संविदाकार को जारी किया जाना था और या सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया जाना था परिणामस्वरूप ऐसा न करके निम्न विवरण अनुसार हिमुडा को ₹622686/– की हानि पहुंचाई गई है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा हानि की भरपाई हेतु यथोचित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Particulars of the item	Rate as per HPSR 1999	Rates quoted by contractor	Premium on similar item
1	Ordinary quarried stone as per HPSR 1999	₹147.50 per cum	----------	
2	R.R. masonary with hard stone vide agreement item No. 24	₹1077.20 per cum	₹1800 per cum	
3	Stone filling behind retaining wall	₹391.70 per cum	₹550 per cum	

vide agreement

item No. 25

Total of 2+3 1468.90 2350 2350-1468.90/1468/90x100=59.89%

So the recovery rate of prdinary quarried stone would be 147.50+59.98%=235.97 Say ₹236/- total amount in live of quantity of stone to be taken in to account/issued to contractor 2636.50x236 ₹622686

(ग) ₹491416/– की रॉयलिटी कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टैान, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। 17वें चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 832 पृष्ठ पर अनुबन्धित मद संख्या 24 व 25 क्रमशः आर0आर. मैसनरी व स्टोन फिलिंग कार्य की 3036.19 व 1032.60 घन मीटर मात्रा का निष्पादन किया गया था जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्नविवरणानुसार घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्त्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹491416.40 की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई है।

क्र0सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलिटी प्रति टन	राशि
1	24	RR masonary	3036.19	4159.58 (3036.19x1.37)	9650.22 (4159.58 x 2.32)	₹40	386008.80

2	25	Stone filling behind retaining wall	1032.60 cum	1135.86 cum (1032.60x1.10)	2635.19 (1135.86x2.32)	₹40	105407.60
		Total					₹491416.40

अतः उक्त वर्णित रॉयलिटी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यहाँ यह भी कहना उचित एवं तर्कसंगत होगा कि या तो संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल से निकाले गए पत्थरों का प्रयोग कर रहा था या फिर स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा वस्तुतः यदि निर्माण स्थल से निकले गए पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा तो नियमानुसार उपरोक्त सब पैरा (ख) अनुसार वसूली की जानी अपेक्षित थी यदि बाहर के स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा तो उपरोक्त विवरण अनुसार रॉयलिटी मण्डल स्तर पर काटी जानी अपेक्षित थी।

(घ) ₹9389899/– की अनुबन्ध की क्लॉज 2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर परोक्ष रूप में हानिः–

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु आंबटन पत्र संख्या एच0बी0एस0 (एस0डी0–II)ए–271/2007–2138–45, दिनांक 06.07.2007 द्वारा 18 माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी जिस आधार पर कार्य का निष्पादन दिनांक 20.01.2009 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु दिनांक 31.3.2013 तक अर्थात समय सीमा पूर्ण होने की अवधि के चार वर्ष बाद तक भी आंबटित कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अनुबन्ध की क्लॉज 2 के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा कार्य में विलम्ब करने के उपरान्त भी कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई थी। उक्त क्लॉज में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्य में देरी के लिए टेंडरड राशि ₹93898988/– पर अधिकतम दस प्रतिशत की दर से दण्ड/कम्पनसेशन के रूप में संविदाकार से वसूली की जानी अपेक्षित थी जोकि ₹9389899/– बनती है। अतः उक्त क्लॉज के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही न करने के फलस्वरूप हिमुडा को ₹9389899/– की परोक्ष रूप में हानि हुई है जिस बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण अपेक्षित कार्यवाही हेतु हिमुडा प्राधिकारी के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

(ङ) ₹13292/– का आर0आर0 मैसनरी से पीवीसी पाईप फॉर वीप होल की मात्रा न घटाने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 24 वस्तुतः आरआर मैसनरी की निष्पादित की गई मात्रा 3036.19 घन मीटर हेतु ₹1800/– की दर से ₹5465142/– का भुगतान संविदाकार को 17वें चलत बिल तक किया गया था उपरोक्त मद की रिकॉर्ड प्रविष्टि की जाँच पड़ताल में पाया गया कि आरआर मैसनरी इन ब्रेस्ट वाल/रेटइनिंग वाल में 4 इंच अर्थात 100 एमएम की पीवीसी पाईप बीप होल हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की मद संख्या द्वारा 939.85 मीटर हेतु अलग से भुगतान किया गया था नियमानुसार बीप होल के क्षेत्रफल के समान मात्रा को आर0आर0 मैसनरी इन ब्रेस्ट वाल/रेटइनिंग वाल की मात्रा को घटाकर भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त बिल में बीप होल के क्षेत्रफल के समान मात्रा को आरआर मैसनरी इन ब्रेस्ट वाल/रेटइनिंग वाल की मात्रा से घटाया नहीं गया था जिसके फलस्वरूप निम्न विवरण अनुसार संविदाकार को ₹13292/– का अधिक भुगतान किया गया था।

4 इंच या 100 एमएम पाईप 939.85 मीटर का क्षेत्रफल=वस्तुतः 22/7x0.05x0.05 939.85=7.38 वर्गमीटर

इस प्रकार से आरआर मैसनरी इन ब्रेस्ट वाल/रेटइनिंग वाल से 7.38 वर्गमीटर की मात्रा को न घटाकर 7.38x1800=₹13292/– का अधिक भुगतान किया गया था जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए गए भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20	कार्य का नामः–	C/O Housing colony at Basal Phase-II (Sh C/O 16 No"s Cat I, & 8 No"s cat II Flats
	संविदाकार का नाम	Sh. Ashok Madan
	चलित बिल संख्याः–	5th Running Bill to 7th & Final Bill
	अनुबन्ध संख्या	21 ऑफ 2010–11
	राशि	18633482

(क) Cutting/Excavation in soil in hilly areas में निकाले गये पत्थरों की संविदाकार से ₹479654/– की वसूली न करनाः–

मापन पुस्तिका संख्या 844 के पृष्ठ संख्या 61 में अनुबन्धित मद संख्या 2 वस्तुतः Cutting/Excavation in soil in hilly areas के लिये 12548.49 घन मीटर कार्य निष्पादन हेतु ₹3137122.50 का भुगतान किया गया था। परन्तु खुदाई किये जाने के उपरान्त कार्य स्थल से किसी भी प्रकार की पत्थरों की मात्रा अभिलेख में नहीं दिखाई गई है। निकाले गये पत्थरों को न तो संविदाकार को जारी किया गया था और न ही सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार उक्त खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा के रूप में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार "हिमाचल प्रदेश शैडयूल दर, 2009" के अनुसार Ordinary quarried stone की दर ₹350+₹32.24 (Overall premium 9.21%)=₹382.24 प्रति घन मीटर है। परिणामस्वरूप 1254.85 घन मीटर पत्थर को स्टॉक में न लेकर न ही संविदाकार को जारी करके न्यूनतम ₹479654/– (1254.85x382.24) की हिमुडा को हानि पहुचाई गई है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा हानि की भरपाई हेतु यथोचित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(ख) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹89304/– की रॉयलिटी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। सातवें व अन्तिम बिल में मापन पुस्तिका संख्या 844 पृष्ठ 71 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 28 व 31 के लिये क्रमशः 273.16 घन मीटर व 534.64 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्नविवरणानुसार 962.33 घन मीटर का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की

गई थी जिसके फलस्वरूप ₹89304/– की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई है।

क्र0सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलिटी प्रति टन	राशि
1	28	RR masonary cm 1:6 in retaining wall/breast wall i/c all leads & lifts	273.16 cum	374.23 cum (273.16x1.37)	868.21 (374.23x2.32)	₹40	34728
2	31	Stone filling behind retaining wall	534.64 cum	588.10 cum (534.64x1.10)	1364.39 (588.10x2.32)	₹40	54576
		Total		962.33 cum			89304

अतः उक्त वर्णित रॉयलिटी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यहाँ यह भी कहना उचित एवं तर्कसंगत होगा कि या तो संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल से निकाले गए पत्थरों का प्रयोग कर रहा था या फिर स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा वस्तुतः यदि निर्माण स्थल से निकाले गए पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा तो नियमानुसार उपरोक्त सब पैरा (क) अनुसार वसूली की जानी अपेक्षित थी यदि बाहर के स्त्रोत/खान के पत्थरों का प्रयोग कर रहा होगा तो उपरोक्त विवरण अनुसार रॉयलिटी मण्डल स्त्तर पर काटी जानी अपेक्षित थी।

(ग) ₹46945/– का ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवें से सातवें/अन्तिम बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बिलों में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व

भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15m के सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे। होल्ड फास्ट को लगाने के लिये अनुबन्ध की मद संख्या 38 द्वारा सातवें/अन्तिम बिल तक मापन पुस्तिका संख्या 844 पृष्ठ 74 में कुल 2544 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गई सी0सी0 ब्लॉक को माप पुस्तिका संख्या 844 पृष्ठ 70 में अनुबन्धित मद संख्या 24 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹46945/– का अधिक भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

चलत बिल	**माप पुस्तिका सं0**	**ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गई**	**दर (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
सातवां/अन्तिम बिल	844	2544x0.30x0.10x0.15-11.45 cum	4100P/cum	46945

इस प्रकार संविदाकार को ₹46945/– कें किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(घ) मद संख्या 90 का गलत प्रकार से अनुबन्ध करने पर संविदाकार को ₹12774/– का अनियमित/अधिक भुगतानः–

मापन पुस्तिका संख्या 844 पृष्ठ 93 पर अनुबन्धित मद संख्या वस्तुतः Providing chases 75mm wide 50mm deep (average size) in walls for conduit/G.I. pipes & filling the same with cement concrete 1:3:6 (1 cement 3 sand 6graded stone aggregate 20mm & down gauge) after the conduit/G.I. pipe is laid (excluding the cost of conduit/G.I. pipe) including carriage of material in all leads & lifts के कार्य निष्पादन हेतु सातवें/अन्तिम निर्माण कार्य बिल तक कुल ₹12774(851.60 रनिंग मीटर कार्य मात्राx₹15 प्रति रंनिंग मीटर) का भुगतान किया गया था जबकि CPWD Specifications 2009 के चैप्टर 6 ब्रिक वर्क के नियम 6.2.8.3 (एफ) के अनुसार 50 cm क्षेत्रफल घेरे की

Chases of section के लिये कोई भी भुगतान नहीं किया जाना था परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करके 7-5cm wide x5,0cm deep chases of section in walls के क्षेत्रफल के लिए मद संख्या 90 का संदिवकार से अनुबन्ध करके ₹12774/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ङ) ₹2772/– का आर0आर0 मैसनरी से पीवीसी पाईप फॉर बीप होल की मात्रा न घटाने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–

मापन पुस्तिका संख्या 844 पृष्ठ 71 पर अनुबन्ध की मद संख्या 28 वस्तुतः आर0आर0 मैसनरी की निष्पादित की गई कार्य मात्रा 273.16 घन मीटर हेतु ₹2200/– की दर से ₹600952/– का भुगतान संविदाकार को सातवें/अन्तिम बिल तक किया गया था। उपरोक्त मद की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल में पाया गया कि आर0आर0 मैसनरी इन रेटइनिंग वाल/ब्रेस्ट वाल में 4 इंच अर्थात 100 एमएम की पी0वी0सी0 पाईप बीप होल हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की मद संख्या 32 द्वारा 159.95 रनिंग मीटर हेतु अलग से भुगतान किया गया था। नियमानुसार बीप होल के क्षेत्रफल के समान मात्रा को आर0आर0 मैसनरी इन रेटइनिंग वाल/ब्रेस्ट वाल की मात्रा से घटाकर भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त बिल में बीप होल के क्षेत्रफल के समान मात्रा को आरआर मैसनरी इन ब्रेस्ट वाल/रेटइनिंग वाल की मात्रा से घटाया नहीं गया था जिसके फलस्वरूप निम्न विवरण अनुसार संविदाकार को ₹2772/– का अधिक भुगतान किया गया था।

4 इंच या 100 एमएम पाईप 159.95 मीटर का क्षेत्रफल=22/7x0.05x0.05 159-95=1.26 वर्गमीटर

इस प्रकार से आरआर मैसनरी इन रेटइनिंग वाल/ब्रेस्ट वाल से 1.26 वर्गमीटर की मात्रा को न घटाकर 1.26x2200=2772 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूली करके, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

22 **निष्कर्ष :–** लेखाओं में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97–खण्ड–7–2236–38, दिनांक 16.04.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

पंजीकृत :–3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट–"क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–I पैरा 1 (ग) में वर्णित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, शिमला–171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2012 तक के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 22	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25(1 से 4)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत

7	पैरा 17(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 20(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 25	अनिर्णीत
15	पैरा 27	अनिर्णीत
16	पैरा 28	अनिर्णीत
17	पैरा 29	अनिर्णीत
18	पैरा 31	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 6(ग)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 18	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 22	अनिर्णीत

10	पैरा 24(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 25	अनिर्णीत	
12	पैरा 27	अनिर्णीत	
13	पैरा 29	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 8	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 16	निर्णीत	(₹1925/– की वसूली मापन पुस्तिका सं,ख्या 706 पृष्ठ 59 (₹352/–) व मापन पुस्तिका संख्या 774 पृष्ठ 21 (₹1573) के सत्यापन उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है)
4	पैरा 17	निर्णीत	(₹5355/– की वसूली 20वें चालत बिल से मापन पुस्तिका संख्या 777 पृष्ठ 52 पर कर ली गई है जिसके सत्यापन उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है)
5	पैरा 20	अनिर्णीत	
6	पैरा 21	अनिर्णीत	
7	पैरा 22(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 22(ख)	निर्णीत	(जर्नल वाउचर 22 माह 03/2011 द्वारा राशि ₹15466/– का समायोजन कर दिया गया है)
9	पैरा 23	अनिर्णीत	
10	पैरा 25	अनिर्णीत	
11	पैरा 26	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में विविध अग्रिम की नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)

2	पैरा 4.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्टॉफ अग्रिम नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
3	पैरा 4.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त योग्य रख–रखाव व जल प्रभार की नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
4	पैरा 4.3	अनिर्णीत	
5	पैरा 5	निर्णीत	(सुरक्षित अग्रिम ₹1757064/– का समायोजन/वसली का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से कर लिया गया है)
6	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में डिपोजिट कार्यों नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
7	पैरा 7	निर्णीत	(कुल पीजीआई/सीजीआई शीटस के भार 1039. 25 कि0ग्रा0 में से 335.40 किलोग्राम GR No. 873 से स्टोर/स्टॉक में प्राप्त किए गए थे तथा शेष 703.89 किलोग्राम पीजीआई/सीजीआई शीटस के एवज में रसीद संख्या 0119946 द्वारा ₹33193 की वसूली श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियन्ता से कर ली गई है। समायोजन/वसूली का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से कर लिया गया है)
8	पैरा 8 (i)	निर्णीत	(पर्स्ततु अभिलेख व उत्तर के आधार पर तथा ₹344790/– की वसूली संविदाकार के चलत बिलों में की गई है जिसका सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से कर लिया गया है)
	पैरा 8 (ii)	निर्णीत	(₹11798/– की वसूली का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
9	पैरा 9	निर्णीत	(समय बढ़ौतरी की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है व प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर

			के आधार पर पैरा समाप्त)
10	पैरा 10.1	निर्णीत	(₹2513/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
	पैरा 10.2	निर्णीत	(₹1080/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
	पैरा 10.3	अनिर्णीत	
	पैरा 10.4	निर्णीत	(₹1788/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
	पैरा 10.5	निर्णीत	(₹644/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12.1	निर्णीत	(₹7941/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख व मापन पुस्तिका संख्या 804 क पृष्ठ 37 पर करने के उपरान्त)
	पैरा 12.2	निर्णीत	(₹7941/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख व मापन पुस्तिका संख्या 804 के पृष्ठ 37 पर करने के उपरान्त)
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 14	निर्णीत	(₹1617/– की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख के करने के उपरान्त)
15	पैरा 15	निर्णीत	(जीआर संख्या 807 व 844 का अवलोकन कर लिया गया है)
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	निर्णीत	(समय बढ़ौतरी की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी/अधिकक्षण अभियन्ता से प्राप्त कर ली गई है व प्रस्तुत अभिलेख व उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त)

18	पैरा 18	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में विविध अग्रिम नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
2	पैरा 4.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में विविध अग्रिम नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
3	पैरा 4.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त योग्य रख–रखाव व जल प्रभार की नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
4	पैरा 4.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त योग्य रख रखाव व जल प्रभार की नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
5	पैरा 4.4	अनिर्णीत	
6	पैरा 4.5	अनिर्णीत	
7	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में डिपोजिट कार्यों की नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
8	पैरा 6	निर्णीत	(सुरक्षित अग्रिम ₹1694440/– का समायोजन/वसूली का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से कर लिया गया है)
9	पैरा 7	अनिर्णीत	
10	पैरा 8 (i)	अनिर्णीत	
11	पैरा 8 (ii)	निर्णीत	(₹17195/– की वसूली का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने पर, पैरा समाप्त किया जाता

			है)
12	पैरा 9	अनिर्णीत	
13	पैरा 10.1	निर्णीत	(₹164335.50 की वसूली के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त व जर्नल वाउचर 2 द्वारा 2% rebate की वसूली अन्तिम बिल से कर ली गई थी)
14	पैरा 10.2	निर्णीत	(₹8484/– की वसूली जर्नल वाऊचर 2 के सत्यापन व सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
15	पैरा 10.3	अनिर्णीत	
16	पैरा 10.4	निर्णीत	(₹1836/– की वसूली जर्नल वाउचर 2 के सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
17	पैरा 11	निर्णीत	(₹48008/– (14347+33661) की वसूली के मापन पुस्तिका संख्या 695 पृष्ठ 30 व सम्बन्धित अभिलेख से सत्यापन करने के उपरान्त)
18	पैरा 11 (i)	अनिर्णीत	
19	पैरा 11 (A)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत किया जाता है)
20	पैरा 12	अनिर्णीत	
21	पैरा 13	अनिर्णीत	
22	पैरा 14	अनिर्णीत	
23	पैरा 15	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत किया जाता है)
24	पैरा 16	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत किया जाता है)
25	पैरा 17	निर्णीत	(₹1323/– की वसूली मापन पुस्तिका संख्या 847/2011 (अनुबन्ध संख्या 6 ऑफ 2013–14)

			के प्रथम चलत बिल से करके जिसका सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)
26	पैरा 18	निर्णीत	(₹929/– की वसूली मापन पुस्तिका संख्या 847/2011 (अनुबन्ध संख्या 6 ऑफ 2013–14) के प्रथम चलत बिल से करके जिसका सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त)

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93</u>

1	पैरा 9	अनिर्णीत

6) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94</u>

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95</u>

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96</u>

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत

11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

1	पैरा 21 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत